

पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 35/15

CPO's Sl. No. 38/15

No. E/9(E)/0/ECR/HJP

dated: 15.04.2015

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यात्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/ Sub: *Payment of Dearness Allowance to Railway employees - Revised rates effective from 01.01.15*
संदर्भ/ Ref: *Rly. Bd's letter No. PC-V/2008/I/7/2/1 dated 13.04.15 (RBE No. 35/15)*

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA : As above.

(संकेत के नीचे)

सकाधि/ESM एवं रुलिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0सी0/एस0टी0/एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सहायक (एफपी/पी), डीओ/हाजीपुर, कृपया 50 नोट पर अपलोड करने के लिए आग्रह करें।
4. महासचिव/उप नि. सी. एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर

Government of India भारत सरकार
Ministry of Railways रेल मंत्रालय
(Railway Board रेलवे बोर्ड)

S.No. PC-VI/349

RBE NO. 35 /2015

No. PC-VI/2008/1/7/2/1

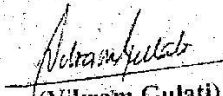
New Delhi, dated 13.04.2015

The GMs/CAO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees - Revised rates
effective from 01.01.2015.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 19.9.2014 (S.No.PC-VI/346, RBE No. 102/2014) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 107% to 113 % with effect from 1st January, 2015.

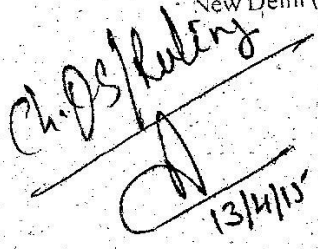
2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The arrears may be charged to the salary bill and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

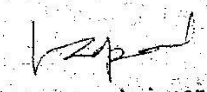

(Vikram Gulati)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

New Delhi, dated 13.04.2015

No. PC-VI/2008/1/7/2/1

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan,
New Delhi (with 40 spares).


13/4/15


for Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VI/ 349

सं. पी सी- VI/2008/1/7/2/1

आर बी ई सं. 35 /2015
नई दिल्ली, दिनांक 13.04.2015

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2015 से लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.09.2014 के सम्संख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/346 आरबीई.सं. 102/2014) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2015 से 107 % की मौजूदा दर से 113 % तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के सम्संख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।
3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान सम्स्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(विक्रम गुलाटी)

निदेशक/वेतन आयोग-II

रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2008/1/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 13.04.2015

प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त, रेलें.